अतिमहत्वपूर्ण/ध्यानाकर्षण/अनुस्मारक–1/ई–मेल द्वारा

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/निदेशक,
परिषद से सम्बद्ध समस्त
निजी क्षेत्र की फार्मेसी पाठयक्रम की संस्थाएं।

पत्रांकः प्राशिप/अनु0–3/पुनर्मूल्यांकन/2024/898 लखनऊः दिनांकः– 13/05/2024

विषयः विषम सेमेस्टर/विशेष बैक पेपर परीक्षा दिसम्बर–2023 की लिखित उत्तरपुस्तिकाओं के डिजीटल पुनर्मूल्यांकन हेतु संस्था में कार्यरत स्टाफ को कार्यमुक्त करने विषयक।

महोदय,

कृपया कार्यालय द्वारा विषम सेमेस्टर/विशेष बैक पेपर परीक्षा दिसम्बर–2023 की लिखित उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में प्रेषित पत्र संख्या प्राशिप/अनु0–3/पुनर्मूल्यांकन/2024/0857, दिनांक 09.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपकी संस्था में कार्यरत कम से कम दो फार्मेसी स्टाफ को जपनद की राजकीय/अनुदानित क्षेत्र की संस्था में पुनर्मूल्यांकन कार्य करने हेतु कार्यमुक्त करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। किन्तु अधिकांशतः संस्थाओं द्वारा कार्यरत फार्मेसी स्टाफ को कार्यमुक्त नहीं किया गया है। यह अन्यथा की स्थिति है, तथा इस पर प्रमुख सचिव महोदय द्वारा रोष व्यक्त किया गया है।

अतः आपको अन्तिम रूप से पुनः निर्देशित किया जाता है कि कार्य की महत्ता के दृष्टिगत अपनी संस्था में कार्यरत कम से कम दो फार्मेसी स्टाफ को अपने जनपद की राजकीय/अनुदानित संस्था में पुनर्मूल्यांकन कार्य करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करना सुनश्चित करें, तथा कार्यमुक्ति की सूचना परिषद कार्यालय की ईमेल bteanu3@gmail.com पर भी प्रेषित करें।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि आप द्वारा अपनी संस्था के फार्मेसी स्टाफ को पुनर्मूल्यांकन कार्य हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो यह मानते हुए कि आपकी संस्था में पर्याप्त फार्मेसी स्टाफ नियुक्त नहीं है, आपकी संस्था के विरूद्ध सम्बद्धता शर्तो के नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जाएगी। उक्त के अतिरिक्त आप द्वारा अपने फार्मेसी स्टाफ को पुनर्मूल्यांकन कार्य हेतु जब तक कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा तब तक आपकी संस्था का परिषद पोर्टल पर परीक्षा फार्म नहीं खोला जाएगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रधानाचार्य/निदेशक का होगा।

भवदीय
(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव।

पृ0सं0–प्राशिप/ अनु0–3/पुनर्मूल्यांकन/2024/899-04 तद्दिनांकः– 13/05/2024

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
3. विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र/बुन्देलखण्ड क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र, दौराला मेरठ को इस अनुरोध के साथ उक्त के संबंध में अपने क्षेत्रान्तर्गत निजी क्षेत्र की फार्मेसी संस्थाओं को अपने स्तर से भी निर्देशित करने करने का कष्ट करें।
5. अपर मुख्य नियंत्रक/प्रधानाचार्य, समस्त पुनर्मूल्यांकन केन्द्र।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव